

आदेश

ओवदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काष्ठकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर आवेदक के खेत कृषि भूमि खसरा नम्बर 961 रकबा 2.06 है भूमि में आवागमन हेतु अनावेदकगण के खेत खसरा नम्बर 962 की पूर्वी सीमा पर जाने वाली डामर की सड़क में से खसरा नम्बर 962 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे लम्बाई 80 मीटर चौड़ाई 4 मीटर कुल 320 वर्ग मीटर भूमि को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है। तथा तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि रास्ते के रूप में समायोजित होने वाली भूमि के बदले भूमि आवेदक के खेत खसरा नम्बर 961 में से कम की जाकर अनावेदक के खेत खसरा नम्बर 962 में समायोजित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(डा० नरेश सानी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

निर्णय आज दिनांक 11/11/20 मेरे द्वारा पृथक से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा० नरेश सानी)
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा